

मूल वाद में डिक्की

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगपुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) खानपुरबडौदा
पीठासीन अधिकारी:- मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

(उनवान पृष्ठ भाग पर अंकित है।)

दावा घोषणा खातेदारी, दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. - 181/2013

वादीगण की ओर से वादी मु० किशान्या, कमल व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी रामसहाय वगैरा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 7.7.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्की दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी को वाद वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 7.7.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दे रई।



मुनिदेव यादव
उप-जिला कलेक्टर
गंगपुर सिटी

वाद के खर्चे	रूपया	
	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		
4 _____ रूपये पर प्लीडर की फीस		
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		
6 कमिश्नर की फीस		
7 आदेशिका की तामील		
जोड	जोड	

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

उनवान

1. मु0 किशन्या बेवा गिराज,माली निवासी जाटबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
2. कमल पुत्र स्व0 गिराज,माली निवासी जाटबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
3. रवि उम्र 16 साल पुत्र स्व0 गिराज, माली निवासी जाटबडौदा
जरिए माता मु0 किशन्या नेचुरल गार्जियन
4. सन्तोष उम्र 10 साल पुत्र स्व0 गिराज, माली निवासी जाटबडौदा
जरिए माता मु0 किशन्या नेचुरल गार्जियन

बनाम

1. रामसहाय पुत्र मटोली,माली निवासी जाटबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
2. श्रीचन्द पुत्र मटोली,माली निवासी जाटबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
3. सुखराम पुत्र मटोली,माली निवासी जाटबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
4. धनसिंह पुत्र जौहरी,माली निवासी जाटबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
5. पृथ्वी पुत्र जौहरी,माली निवासी जाटबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
7. राज्य सरकार जरिए जिलाकलेक्टर सवाईमाधोपुर

दावा बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा